कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांक– 344 /लोअर/एन0ओ0सी0/ दिनांक:– 21/1/21

विषयः–जनपद आगरा में एन0एच0–02 से एन0एच0–03 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह–बयाना रेल सैक्शन के रेलवे कि0मी0 73/7–8 पर स्थित सम्पार संख्या 68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के कनेाल साइढ के मार्ग पर निर्मित किये जाने वाले 02 लेन सेतु की अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 300/67बीआर/एसबीसी/आगरा/2020–21, दिनांक 10.06.2020

उपपरियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0, राज्य सेतु निगम लि0, सेतु निर्माण इकाई, निकट भावना टावर, रेल उपरिगामी सेतु–502, गुरू का ताल, हरी पर्वत मार्ग, आगरा।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का काष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद आगरा में एन0एच0–02 से एन0एच0–03 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह–बयाना रेल सैक्शन के रेलवे कि0मी0 73/7–8 पर स्थित सम्पार संख्या 68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के केनाल साइढ के मार्ग पर निर्मित किये जाने वाले 02 लेन सेतु की अनापत्ति की मांग की है। इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–प्रथम की संस्तुति सहित आख्या के अनुसार राज्य सेतु निर्माण इकाई, आगरा द्वारा ईदगाह बयाना रेल मार्ग पर जो एन0एच0–02 से एन0एच0–03 सड़क मार्ग टर्मिनल राजवाह की बायी पटरी से आता है, उस पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है क्योकि सड़क मार्ग पर आने व जाने के लिये अलग–अलग मार्ग है। अतः शहर साइड की सड़क पर कार्य प्रगति पर है। राजवाह टर्मिनल के लगभग कि0मी0 17.000 से कि0मी0 17.500 तक बायी पटरी पक्की सड़क पर ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अनपात्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है–

1. उक्त अनापत्ति पर किसी भी उच्च स्तर/उच्चाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति की जाती है अथवा **कोई अन्य वाद विवाद होता है तो यह अनापत्ति पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा किसी भी मा0 न्यायालय में वाद विवाद के लिये वैद्य नही रहेगा तथा न ही आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम आदि मान्य होगा।**
2. विभागीय भूमि/सम्पत्ति पर स्वामित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश का ही रहेगा।
3. विभागीय भूमि/सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण/कब्जा नही किया जायेगा और न ही विभागीय भूमि/सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई छति पहुचायी जायेगी।
4. आपके द्वारा किये जाने वाले किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से विभागीय नहर के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न नही होना चाहिए। यदि आपके द्वारा किये निर्माण से विभागीय नहर के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपके द्वारा तत्काल उक्त निर्माण को हटाना होगा। यदि आपके द्वारा उक्त निर्माण नही हटाया जाता तो विभाग द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा तथा ध्वस्त करने में जो भी व्यय आयेगा उसकी वसूली आपसे नियमानुसार की जायेगी तथा ध्वस्तीकरण के समय जो भी क्षति होगी उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
5. आपके द्वारा नहर में किसी प्रकार का मलबा अथवा दूषित पदार्थ आदि नही डाला जायेगा।
6. आपके द्वारा नहर का बैड लेवल/एफ0एस0एल0 की छेड–छाड न की जायें।
7. आपके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि नहर के मूल स्वरूप में आपके द्वारा स्थापित न करके सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है तो नहर को मूल स्वरूप मे स्थापित करने में आने वाले व्यय का वहन आपके द्वारा किया जायेगा।
8. विभागीय डाटा प्राप्त कर उक्त ओवरब्रिज की ड्राइंग एवं डिजाइन विभागीय मानको के अनुसार तैयार कर वैद्य तकनीकि संस्थान से वैट कराकर विभाग को उपलब्ध करानी होगी एवं सक्षम स्तर से जॉच कराकर स्वीकृति उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. निर्माण के कारण नहर के पानी के बहाव में कोई भी अवरोध उत्पन्न नही होना चाहिए।
10. उक्त ओवरब्रिज सिंचाई विभाग की सम्पत्ति माना जायेगा। परन्तु इसका रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
11. ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व निर्माणकर्ता सिंचाई विभाग को लिखित रूप में सूचित करें तथा निर्माण कार्य का निरीक्षण समय–समय पर खण्ड के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से करायें।
12. **उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का पालन नही किया जाता है तो यह अनापत्ति पत्र स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा यदि कोई विभागीय क्षति तो उसकी भरपायी नियमानुसार की जायेगी।**

सलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा

पत्रांक– /लोअर/एन0ओ0सी0/तदिनांकः–

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–प्रथम लो0ख0आ0न0, आगरा को उनके पत्रांक–1038/स0अ0प्रथम/एन0ओ0सी0/ दिनांक–18.11.2020 एवं मौखिक रूप से उपलब्ध करायी सूचना के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा

(Sageer Ahmad Khan)
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit, Agra

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra

Vikram Singh
Dy. Project Manager
Bridge Construction Unit, Agra